

उत्तर रेलवे

कार्यालय मुख्य कारखाना प्रबन्धक
जगाधरी वर्कशाप

संख्या 974-E/Welfare/Covid-19

दिनांक 09.04.2020

सभी अधिकारीगण,
जगाधरी वर्कशाप एवं कालका वर्कशाप ।

विषय:- रेल परिवार की देख रेख मुहिम के संबंध में।

सन्दर्भ:- महा प्रबंधक(कार्मिक) का पत्रांक 969-E/मिस/ई-6 दिनांक 07.04.2020 ।


सभी कर्मचारियों और कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त सलाह, व्यक्तिगत सुरक्षा

1. सार्वजनिक क्षेत्र में आने पर या किसी भी क्षेत्र पर या अलगाव संकार्यों आदि में जाने पर COVID-19 संक्रमण के संभावित स्रोत (मास्क) का उपयोग करना है और पुष्टि किए गए COVID-19 पॉजिटिव व्यक्तियों के साथ व्यवहार करते समय PPES का उपयोग करें।
2. अच्छा व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखें और स्वस्थ आहार लें। पर्याप्त नींद लें।
3. समय समय पर इस संबंध में सरकारी दिशा निर्देश का पालन करना।

लॉक डाउन अवधि के दौरान आफिस का काम

1. घर से जितना संभव हो उतना काम प्रोत्साहित करने के लिए।
2. सभी कर्मचारियों को यह समझना चाहिए कि यह अवकाश अवधि नहीं है। सभी को फोन/वीडियो कॉन्फ्रेंस आदि माध्यमों से हर समय सुलभ होने की उम्मीद है। फोन पर अनुपलब्धता को उन कर्मचारियों के लिए अनुपस्थित के रूप में दर्ज किया जायेगा जो घर से काम कर रहे हैं।
3. पर्यवेक्षक प्रभारी/अधिकारियों को उनके अधीन सभी कर्मचारियों के साथ नियमित रूप से सम्पर्क में होना चाहिये और समूह के भीतर शीघ्रता से प्रसारित होने की जानकारी होनी चाहिए और आस्यप के बिना आवश्यक कार्य करना होगा।
4. सभी पर्यवेक्षकर्ता/ अधिकारी जो एपीएआर की रिपोर्टिंग कर रहे हों, को बनाए रखना चाहिए। गर्भित कर्मचारियों से संबंधित डोजियर और बाद में संबंधित एपीएआर में दर्ज किया जाना।
5. वेतन / बिल से संबंधित कार्यवाही / समापन संबंधी मामले तुरन्त समय अवधि में किए जायें।
6. किसी भी उम्र के कर्मचारी जैसे उच्च रक्तचाप, मधुमेह आदि के साथ काम करने वालों को काम करने के निर्देश दिए जाते हैं कि घर पर ही रह कर काम करने की अनुमति दी जाती है।
7. 50 की उम्र के कर्मचारी और बिना किसी कामोर्बिडीटी के घर से काम करने के लिये कहा जा सकता है और आवश्यकता पडने पर कार्यालय बुलाया जा सकता है।
8. कार्यालय में आवश्यक कार्य करने के लिए केवल आवश्यक कर्मचारियों का (Only Skeletal staff) का उपयोग किया जाना है।
9. वह कर्मचारी जोकि 50 वर्ष से कम आयु के है बिना किसी कामोर्बिडीटी व बाहरी कार्यों की अधिकतम जिम्मेदारियों को सामना करना चाहिए। यानि कार्यालयों और फील्ड में काम करता है। उन्हें पूर्ण समन्वय में दूसरों के कार्यों को साझा करना होगा।
10. सभी कर्मचारियों को इस संबंध में समय समय पर जारी निर्देशों का पालन करना होगा।

इसे सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त है।


कृते मुख्य कारखाना प्रबन्धक
उ० र०, जगाधरी वर्कशाप।

प्रतिलिपि:-

1. हित निरीक्षक, जगाधरी वर्कशाप एवं कालका वर्कशाप को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु।